उपखण्ड अधिकारी

31/12/2020 पत्रावली पेश हुई। वकील ने उपखण्ड अधिकारी विंझाणा से सम्बन्धित मूल दावे में संलग्नित नकल फैसले की अनुपालनार्थ तामील कार्यवाही की है। इसी प्रकार P.D. पत्रावली की जा चुकी है अतः पत्र पर अधिकारी विंझाणा का कोई अभिमत नहीं रह गया है। इस कारण प्रकरण पर अधिकारी विंझाणा को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसले मुताबिक नकल से कम हो कार्यवाही समाप्त की।

उपखण्ड अधिकारी
सदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Singh
Date: 2021.01.05 17:49:58 IST
Reason: SelfAttested